न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 32 / 2023

उनवान:

तहसीलदार धौलपुर बहैसियत लैण्ड होल्डर

----- प्रार्थी

बनाम

भगवान सिंह पुत्र जीवाराम जाति जाटव निवासी मौरोलीपुरा तहसील धौलपुर

----- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177
आरटीए

निर्णय दिनांक – 13/08/24

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1523 / 1274 रकवा 0.2023 है0 किस्म चाही सोयम बाके ग्राम मौरोलीपुरा तहसील धौलपुर में स्थित है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थी ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 1523 / 1274 रकवा 0.2023 है0 पर 02 दुकान 9X18 निर्माणाधीन मकान 20X30 स्थापित कर दिया है जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थी के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नही है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी दिनांक 17.03.2023 को न्यायालय में उपस्थित आया। तत्पश्चात् न्यायालय में उपस्थित नही होने पर दिनांक 20.06.2023 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्डअधिकारी
धौलपुर (राज)

पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली पर संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1523 / 1274 रकवा 0.2023 है0 किस्म चाही सोयम पर मौके पर एनएच 11बी के सहारे 2 दुकान 9X18 = 162 वर्गफीट व एक निर्माणाधीन मकान 20X30 600 वर्गफुट बनाकर उपयोग में लिया जा रहा है। पत्रावली में संलग्न जमावन्दी ग्राम मौरौलीपुरा सम्वत् 2076-79 के अनुसार खसरा नम्बर 1523 / 1274 रकवा 0.2023 है0 भगवान सिंह पुत्र जीवाराम जाति जाटव सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1523 / 1274 रकवा 0.2023 है0 किस्म चाही सोयम ग्राम मौरोलीपुरा के खातेदार काश्तकार भगवान सिंह पुत्र जीवाराम द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सम्परिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थी को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत हम विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया जना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1523 / 1274 रकवा 0.2023 है0 किस्म चाही सोयम ग्राम मौरोलीपुरा पटवार हल्का विश्नौदा भगवान सिंह पुत्र जीवाराम ग्राम मौरोलीपुरा तहसील धौलपुर पर खातेदार भगवान सिंह पुत्र जीवाराम जाति जाटव के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर भूमि से खातेदार को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)